

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
90/24	212 RTA	खेडी	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जगदीश	बनाम	अमरचन्द	

वकील :- श्री अशोक कुमार मेहता **आदेश पत्रक** वकील:- श्री
 दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

02.12.2024 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ने सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।

22-1-25 पत्रावली पेश हुई। नवीन जारी उक्त कजरी छत 1, 9, 14, 18, 20, 21, 26, 27 के हलत नस लगी। वाकूड प्रमाण के फाटो के उक्त नही है उक्त विरुद्ध एक नया कार्यवाही की जाये की जायेगी। कजरी छत 2 नं 8, 10 नं 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 की लखी है उक्त लखी फते का लखनग पेश करे। पत्रावली वाले लखी दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

11-3-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उक्त वकील पार्थी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण के Not press किया है। प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर समाप्त हो।

Not press
 करी